न्यायालय उप जिलाकलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
107/2005	11.7.2005	30-6-2025

सरदार पुत्र ऊंकार, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र स्व0 गिर्राज, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. बबली पुत्र स्व0 गिर्राज, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. भगवान देई पत्नि स्व0 गिर्राज, खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. शिवलाल दत्तक पुत्र स्व0 जगन, खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर
5. मिश्री बेवा जगन, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी
7. नानगी पुत्री जगन पत्नि गिर्राज,खारवाल नि0 बागोर तहसील नादौती
8. लाली पुत्री जगन पत्नि भूपसिंह, खारवाल, जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
9. लखनबाई पुत्री जगन बेवा चिरंजी,खारवाल नि0 गुढाचन्द्रजी (मृतक)

9/1.नवल नाबालिग जरिए संरक्षक पिता मिश्रया पुत्र उदयलाल जाति खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती

10.सुनीता पुत्री जगन पत्नि अमरसिंह, खारवाल नि0 पिपलाई तह0बामनवास

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं भूमि विभाजन

उपस्थित :—श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। ग्राम दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी में भूमि ख0नं0 8 रकबा 50 एयर, ख0नं0 10 रकबा 09 एयर, ख0नं0 11 रकबा 06 एयर, ख0नं0 12 रकबा 35 एयर, ख0नं0 14 रकबा 14 एयर, ख0नं0 117 रकबा 26 एयर, ख0नं0 118 [illegible] 11 हे0, ख0नं0 125 रकबा 20 एयर, ख0नं0 163 रकबा [illegible] 02 एयर, ख0नं0 165 रकबा 21 एयर, ख0नं0 166 रकबा 2[illegible] एयर, ख0नं0 167 [illegible] 24 एयर, ख0नं0 168 रकबा 27 एयर, ख0नं0 1[illegible] रकबा 40 एयर, [illegible] 199 रकबा 06 एयर, ख0नं0 200 रकबा 06 एयर, ख0नं0 202 रकबा 19 एयर, ख0नं0 203 रकबा 14 एयर, ख0नं0 204 रकबा 11 एयर, ख0नं0 314 रकबा 19 एयर, ख0नं0 315 रकबा 07 एयर, ख0नं0 317 रकबा 31 एयर, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला [illegible]
गंगापुर सिटी (स0मा0)

319 रकबा 20 एयर, ख0नं0 339 रकबा 28 एयर कुल किता 25 कुल रकबा 5.89 है0 पक्षकारान की खातेदारी की स्थित है। इस भूमि में रेल्वे विभाग के पक्ष में जरिए नामान्तकरण नवीन नम्बर डालकर ख0नं0 530/163 रकबा 09 एयर, ख0नं0 531/164 रकबा 01 एयर, ख0नं0 532/165 रकबा 05 एयर, ख0नं0 533/166 रकबा 06 एयर, ख0नं0 534/167 रकबा 07 एयर, ख0नं0 535/168 रकबा 01 एयर, ख0नं0 536/176 रकबा 10 एयर कुल रकबा 39 एयर की खातेदारी रेल्वे विभाग के नाम स्वीकार हुई है। पूर्व रेकार्डेड खातेदारों के 5.50 है0 भूमि शेष रही है। सं0 2058 से 2061 की जमाबंदी चौसाला में खातेदारी इन्द्राज सन्ती बेवा बाल्या उर्फ बालाराम हिस्सा 1/4, बबली पुत्र गिर्राज व भगवाई देई बेवा गिर्राज हिस्सा 1/4, सरदार पुत्र ऊंकार व गुलकन्दी बेवा ऊंकार हिस्सा 1/4 एवं शिवलाल दत्तक पुत्र जगन व मिश्री बेवा जगन हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है। जिसमें से नामान्तकरण सं0 115 द्वारा भूमि रेलवे विभाग की खातेदारी में दर्ज कर पृथक खातेदारी रेल्वे विभाग के नाम दर्ज हो गई है एवं नामान्तकरण सं0 129 हकत्याग दिनांक 5.4.2005 द्वारा गुलकन्दी बेवा ऊंकार का हिस्सा 1/8 के स्थान पर सरदार पुत्र ऊंकार वादी नं0 1 हिस्सा 1/4 की खातेदारी स्वीकार हुई व खातेदारी में 1/4 में से गुलकन्दी का नाम हजफ हो गया है। पूरा 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 के नाम अंकित हो गया है। गिर्राज के दो पुत्र नरोत्तम प्रतिवादी संख्या 1 व बबली पुत्र गिर्राज प्रतिवादी संख्या 2 तथा पत्नि भगवानदेई बेवा गिर्राज प्रतिवादी संख्या 3 वारिस है। बबली व भगवानदेई का नाम खातेदारी में दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के कारण नरोत्तम प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया है। बाल्या उर्फ बाबूलाल तथा उसकी पत्नि सन्ती सन्तान विहीन मर गये है। मृतक सन्ती व बाल्या के एकमात्र वैधानिक उत्ताधिकारी वादीगण है। वादग्रस्त आराजी में सन्ती का 1/4 हिस्सा है। इस कारण उक्त 1/4 हिस्से में से वादीगण का एक ईकाई के रूप में एक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का एक ईकाई के रूप में एक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4,5 एक ईकाई के रूप में एक हिस्सा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण मृतक सन्ती की हिस्से की भूमि में से 1/12 हिस्से के वैधानिक अधिकारी है व इसी प्रकार सन्ती के हिस्से की भूमि 1/12 हिस्से पर सन्ती की मृत्यु के बाद काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने सन्ती के हिस्से से वादीगण के हिस्से में आयी 1/12 भूमि को काश्त करने में दिनांक 10.06.2005 को धमकी दी तथा मुआवजा राशि में से उपरोक्त

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से अनुसार राशि प्राप्त करने मे व्यवधान डाल रहे है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर मृतक सन्ती बेवा बाल्या उर्फ बालूराम के 1/4 हिस्से की भूमि में से वादीगण को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम व 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम घोषित फरमाया जावें। उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें तथा मृतक गिर्राज की बेवा भगवानदेई व पुत्र बबली के खेवट खतौनी नम्बर 76 में 1/4 हिस्से में भगवानदेई के साथ नरोत्तम को दर्ज किये जाने की दुरूस्ती की डिक्री फरमाई जावें। इस घोषणा के आधार पर वादीगण को सन्ती की भूमि में से 1/12 हिस्से का मिट्स एवं बाउण्डरा से अलग से दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी संख्या 1 के हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा 1/12 के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि नरोत्तम को सन्ती ने गोद ले लिया इसलिए गिर्राज की विरासत ने नरोत्तम का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा सन्ती की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ती पर गोद पुत्र होने के आधार पर नरोत्तम भी काबिज है। सन्ती की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति से व रेलवे विभाग के मुआवजे से अन्य प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, सन्ती का एकमात्र वारिस नरोत्तम है। नरोत्तम का गोद पुत्र घोषित करवाने का दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अदालत हाजा को यह वादपत्र सुनने का अधिकार नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं अन्य शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित [illegible] हुए। [illegible]गण के विरूद्ध दिनांक 11.02.2021 को एकतरफा कार्यवाही की [illegible]।

वादपत्र के समर्थन में [illegible] आदेशिका दिनांक 04.12.2015 मुकदमा उनवानी [illegible] बनाम [illegible]लकन्दी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र मुकदमा उनवानी नरोत्तम बनाम गुलकन्दी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जबाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 मुकदमा उनवानी नरोत्तम बनाम गुलकन्दी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 95 ग्राम दौलतपुर प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2058–2061 प्रदर्श–1, प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी सरदार कराये है। इसके अतिरिक्त नकल जमाबंदी संवत 2062–2065, नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 95 ग्राम दौलतपुर भी प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 04.12.2015 मुकदमा उनवानी नरोत्तम बनाम गुलकन्दी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र मुकदमा उनवानी नरोत्तम बनाम गुलकन्दी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रदर्श–2 के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी नरोत्तम पुत्र बाल्या द्वारा खुद को मृतक सन्ती वेवा बाल्या उर्फ बालूराम का गोद पुत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी दावा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 04.12.2015 को अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी नरोत्तम का मृतक सन्ती के गोद पुत्र के रूप में लिया गया आक्षेप मान्य नहीं है। इस प्रकार संती लाऔलाद फौत होना वादी के वादपत्र से जाहिर है। वादी के कथनानुसार संती का 1/4 हिस्सा इस भूमि के 1/4–1/4 हिस्से के अन्य खातेदार के नाम जाना है। वादी के इस कथन का प्रतिवादीगण ने भी कोई विरोध नही किया है। ऐसी स्थिति मे संती का 1/4 हिस्सा वादी के कथनानुसार भूमि के अन्य खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज होना उचित है। नकल जमाबंदी संवत 2058–61 खाता [illegible] 76 के अनुसार हक त्याग दिनांक 5.4.2005 के माध्यम से गुलकंदी [illegible] का 1/8 हिस्सा सरदार पुत्र ऊकांर के नाम दर्ज हो चुका है [illegible] सरदार का भूमि मे 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ है। इसी प्रकार वादी भूमि की खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 8 रकबा 50 एयर, ख0नं0 10 रकबा 09 एयर, ख0नं0 11 रकबा 06 एयर, ख0नं0 12 रकबा 35 एयर, ख0नं0 14 रकबा 14 एयर, ख0नं0 117 रकबा 26 एयर, ख0नं0 118 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 125 रकबा 20 एयर, ख0नं0 163 रकबा 21 एयर, ख0नं0 164 रकबा 01 एयर, ख0नं0 165 रकबा 16 एयर, ख0नं0 166 रकबा 17 एयर, ख0नं0 167 रकबा 17 एयर, ख0नं0 168 रकबा 26 एयर, ख0नं0 176 रकबा 15 एयर, ख0नं0 199 रकबा 06 एयर, ख0नं0 200 रकबा 06 एयर, ख0नं0 202 रकबा 19 एयर, ख0नं0 203 रकबा 14 एयर, ख0नं0 204 रकबा 11 एयर, ख0नं0 314 रकबा 19 एयर, ख0नं0 315 रकबा 07 एयर, ख0नं0 317 रकबा 21 एयर, ख0नं0 319 रकबा 20 एयर, ख0नं0 339 रकबा 28 एयर, ख0न0 602/176 रकबा 0.15 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 5.50 है0 ग्राम दौलतपुर सरदार पुत्र ऊकांर को हिस्सा 7/24 का, गुलकंदी पत्नी स्व0 ऊकांर को हिस्सा 1/24 का, नरोत्तम पुत्र गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, बबली पुत्र गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, भगवान देई पत्नी स्व. गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, नाबालिग नवलकिशोर पुत्र चिंरजीलाल संरक्षक सरपस्त बाबा मिश्रीलाल को हिस्सा 1/18 का, नानगी पुत्री जगन पति गिर्राज को हिस्सा 1/18 का, लाली पुत्री जगन पति भूपसिंह को हिस्सा 1/18 का, सुनीता पुत्री जगन पति अमरसिंह को हिस्सा 1/18 का, मिश्री पत्नी स्व. जगन को हिस्सा 1/18 का, शिवलाल दत्तकपुत्र जगन को हिस्सा 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संती पत्नी स्व. बाल्या हिस्सा 1/4 का नाम राजस्व अभिलेख से हजफ करने का आदेश दिया जाता है। सरदार पुत्र ऊकांर का हिस्सा पूर्ववत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्ब[illegible]म हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

सरदार पुत्र ऊंकार, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र स्व0 गिर्राज, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. बबली पुत्र स्व0 गिर्राज, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. भगवान देई पत्नि स्व0 गिर्राज, खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. शिवलाल दत्तक पुत्र स्व0 जगन, खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर
5. मिश्री बेवा जगन, खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी
7. नानगी पुत्री जगन पत्नि गिर्राज,खारवाल नि0 बागोर तहसील नादौती
8. लाली पुत्री जगन पत्नि भूपसिंह, खारवाल, जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
9. लखनबाई पुत्री जगन बेवा चिरंजी,खारवाल नि0 गुढाचन्द्रजी (मृतक)

9/1.नवल नाबालिग जरिए संरक्षक पिता मिश्रया पुत्र उदयलाल जाति खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती

10.सुनीता पुत्री जगन पत्नि अमरसिंह, खारवाल नि0 पिपलाई तह0बामनवास

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं भूमि विभाजन

मुकदमा नं. —107/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ———मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 8 रकबा 50 एयर, ख0नं0 10 रकबा 09 एयर, ख0नं0 11 रकबा 06 एयर, ख0नं0 12 रकबा 35 एयर, ख0नं0 14 रकबा 14 एयर, ख0नं0 117 रकबा 26 एयर, ख0नं0 [illegible] रकबा 1.11 है0, ख0नं0 125 रकबा 20 एयर, ख0नं0 163 रकबा [illegible] रकबा 01 एयर, ख0नं0 165 रकबा 16 एयर, [illegible] 17 एयर, ख0नं0 167 रकबा 17 एयर, ख0नं0 168 रकबा 26 एयर, ख0नं0 176 रकबा 15 एयर, ख0नं0 199 रकबा 06 एयर, ख0नं0 200 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 202 रकबा 19 एयर, ख0नं0 203 रकबा 14 एयर, ख0नं0 204 रकबा 11 एयर, ख0नं0 314 रकबा 19 एयर, ख0नं0 315 रकबा 07 एयर, ख0नं0 317 रकबा 21 एयर, ख0नं0 319 रकबा 20 एयर, ख0नं0 339 रकबा 28 एयर, ख0नं0 602/176

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रकबा 0.15 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 5.50 है0 ग्राम दौलतपुर सरदार पुत्र ऊकांर को हिस्सा 7/24 का, गुलकंदी पत्नी स्व0 ऊकांर को हिस्सा 1/24 का, नरोत्तम पुत्र गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, बबली पुत्र गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, भगवान देई पत्नी स्व. गिर्राज को हिस्सा 1/9 का, नाबालिग नवलकिशोर पुत्र चिंरजीलाल सरंक्षक सरपस्त बाबा मिश्रीलाल को हिस्सा 1/18 का, नानगी पुत्री जगन पति गिर्राज को हिस्सा 1/18 का, लाली पुत्री जगन पति भूपसिंह को हिंस्सा 1/18 का, सुनीता पुत्री जगन पति अमरसिंह, को हिस्सा 1/18 का, मिश्री पत्नी स्व. जगन को हिस्सा 1/18 का, शिवलाल दत्तकपुत्र जगन को हिस्सा 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संती पत्नी स्व. बाल्या हिस्सा 1/4 का नाम राजस्व अभिलेख से हजफ करने का आदेश दिया जाता है। सरदार पुत्र ऊकांर का हिस्सा पूर्ववत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-6-2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उपजिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी